297

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

R-2637-A-16

पुनरीक्षण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

बल्लू पुत्र प्रभू कोल जाति कोल
निवासी ग्राम जमोड़ी टोला (पौसरा)
जिला कटनी म0प्र0 ---- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला कटनी म0प्र0 ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 20/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2016 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पुरैनी प. ह.नं. 40 नं. बं. 16, रा.नि.मं. मुडवारा - 1 विकास खंड कटनी तहसील व जिला कटनी में भूमि खसरानं. 56/1 रकबा 0.61 स्थित है । उक्त भूमि अत्यंत बंजर एवं अनुपजाऊ है, जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है । इस कारण आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर 5 से 7 एकड़ कृषि सिंचित भूमि खरीदना चाहता है । अतः उसे उक्त भूमिको विक्रय करने की अनुमति दी जाये ।

3. यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबंद कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्य से जांच प्रतिवेदन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने त हसीलदार, कटनी को जांच कर कार्यवाही हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया जिसमें बताया गया कि आवेदित भूमि निजी भूमि है, उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं है मौके पर पड़त है । आवेदक उक्त भूमि को विक्रय करने के पश्चात पुत्र पुत्रियों का विवाह करेगा, पुराना कर्ज चुकायेगा तथा शासकीय गाइड लाइन के अनुसार अनुमति मिलने के पश्चात भूमि विक्रय करेगा । प्रतिवेदन में तहसीलदार ने भूमि की अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया है ।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2637–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 14–6–16 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक बल्लू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पुरैनी प.ह.नं. 40 स्थित भूमि खसरा नं. 46/1 रकबा 0.61 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विकय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विकय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण कलेक्टर, कटनी प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आलोच्य	

R. 2637-I/16

बल्लू विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	आदेश द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि भूमि विक्रय के पश्चात आवेदक को अधिक मात्रा में राशि प्राप्त होगी और आवेदक उस राशि को किस प्रयोजन हेतु खर्च करेगा, आवेदक ने अपने कथन में स्पष्ट नहीं किया है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण में आये तथ्यों पर बिना विचार किये उक्त निष्कर्ष दिया है क्योंकि आवेदक ने अपने आवेदन में तहसीलदार के समक्ष किए गए कथनों में स्पष्ट किया है कि वह उक्त राशि से पुत्र-पुत्रियों का विवाह करेगा, पुराना कर्ज चुकायेगा तथा कृषि कार्य हेतु अन्यत्र पांच से सात एकड़ सिंचित जमीन क्रय करेगा । आवेदक द्वारा विक्रय हेतु आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की भूमि नहीं है बल्कि उसकी क्रयशुदा भूमि है आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति चाही गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक को भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । परिणामतः कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14-6-16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक को उसके भू-स्वामित्व की ग्राम पुरैनी प.ह.नं. 40 स्थित भूमि खसरा नं. 46/1 रकबा 0.61 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2637–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	